संख्या: 222 /2026/ 3223 /चार-2026-1694904

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 13 नवम्बर, 2026**

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय एवं अधीनस्थ संग्रहालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग मैनपावर की सेवाओं का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 524/उ0प्र0सं0नि0-5(139)/2022-23, दिनांक 15 अक्टूबर, 2026 तथा पत्र संख्या- 556/उ0प्र0सं0नि0-5(139)/2022-23, दिनांक 05 नवम्बर, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा पूर्व में प्रदान की गयी प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में आउटसोर्सिंग मैनपावर हेतु कुल रू0 50.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत सुसंगत मद से भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. अत: इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संग्रहालय निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय एवं अधीनस्थ संग्रहालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग मैनपावर की सेवाओं का **माह जुलाई, 2026 से 19 नवम्बर, 2026 तक की अवधि का भुगतान वास्तविक बीजकों के आधार पर किये जाने हेतु प्रस्तावित व्यय रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय एवं अधीनस्थ इकाईयों में रिक्त पदों के सापेक्ष कार्यरत आउटसोर्सिंग मैनपावर कार्मिकों हेतु ही अनुमन्य होगी।

(3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(6) उक्त धनराशि निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(7) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान व्यय -58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या- 222 /2026/ 3223 (1) /चार-2026-1694904 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।